राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(3)साप्र/5/2016 जयपुर, दिनांकः 16.05.16

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा–निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तो पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है:--

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्व ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. ट्रांजिट हॉस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण–पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय–समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरियता संख्या	ग्रेड–पे	आवंटित आवास संख्या
1	श्री रामनिवास (IAS), अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामलात, राजस्थान, जयपुर।	22/2016	8700/-	G-1/3, NTH, गांधीनगर, जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से

(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर– कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग– आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग–कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव